

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 779  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02 / 9 / 14

संयुक्त संचालक / उप संचालक,  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)  
(म०प्र०)


विषय :- राजस्व अभिलेखों में मंडी समिति का नाम दर्ज कराने बाबत।  
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 2982 दि. 20.12.13, एवं  
क्रमांक 547 दिनांक 05.07.14

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें लेख किया गया है कि मंडी प्रांगणों एवं उपमंडी प्रांगणों को आवंटित / अर्जित भूमि का अधिपत्य प्राप्त कर उसमें मंडी संचालित हो रही है, परन्तु कई मंडी प्रांगण की भूमि का अब तक स्वामित्व मंडी समिति के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हुआ है। राजस्व अभिलेखों में मंडी समिति का नाम दर्ज न होने से अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित होती है जैसे सागर व सिंगरोली में मंडी की भूमि स्वामित्व की भूमि अन्य प्रयोजन के लिये आरक्षित कर दी गई या अन्य को देने के प्रयास किये गये।

आंचलिक संयुक्त संचालक / उपसंचालकों को निर्देशित किया गया था कि उनके अधीनस्थ सभी मंडियों के प्रांगण एवं उपमंडी प्रांगण का स्वामित्व मंडी समिति के नाम पर राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज होना सुनिश्चित करने हेतु मंडी सचिवों के माध्यम से खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करें और जिन मंडियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाये उन्हें दर्ज कराने की कार्यवाही 30 दिन के अन्दर पूर्ण की जाये। इस कार्य की आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जावे।


अतः निर्धारित समयवाधि में वांछित कार्यवाही पूर्ण करवाकर आपके संभाग की मंडीवार स्थिति तथा खसरे की एक प्रमाणित प्रतिलिपि का रिकार्ड आंचलिक कार्यालय स्तर पर संधारित किया जायेगा और एक प्रति मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है। प्रकरण को प्राथमिकता देते हुए वांछित जानकारी दिनांक 15.09.2014 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
अपर संचालक (प्रांगण)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

पृ.क्रमांक / मंडी / प्रांगण / विविध / 780  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02 / 9 / 14

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त) की ओर आवश्यक  
कार्यवाही हेतु।

  
अपर संचालक(प्रांगण)  
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल h